UPMZ010065982017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारीः– विष्णु चन्द्र वैश्य, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06126

सत्र परीक्षण संख्या :– 702 सन् 2017

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष

बनाम

1. चन्द्रमोहन पुत्र स्व0 पीतम सिंह निवासी–कृष्णापुरी, हाल निवासी–106/55, गौशाला वेस्ट, थाना–कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।
2. श्रीपाल उर्फ पाल्ला पुत्र नकली, निवासी–उ0 रामपुरी, थाना–कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।
3. सतेन्द्र पुत्र महावीर,
4. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र पाल्लेराम,
निवासीगण–रामपुरी, थाना–कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।
5. कृष्णपाल पुत्र जगराम,
6. ओमवीर पुत्र जगराम,
निवासीगण–उ0 रामपुरी, थाना–कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्तगण,

मुकदमा अपराध सं0–851 सन् 2012,
धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504
भा.दं.सं. एवं
धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन)
अधिनियम,
थाना–कोतवाली नगर,
जिला–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1. पुलिस थाना–कोतवाली नगर द्वारा अभियुक्तगण चन्द्रमोहन, श्रीपाल उर्फ पाल्ला, सतेन्द्र, राजू उर्फ राजकुमार, कृष्णपाल तथा ओमवीर के विरूद्ध धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504 भा.दं.सं. एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किए गए आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 11.09.2014 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा उक्त प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के फलस्वरूप दिनांक 27.06.2017 को सत्र

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.20 17:07:49 IST
Reason: Judgment
Location: ASJ 01

सुपुर्द किया गया, जो सत्र सुपुर्द किए जाने के उपरोक्त दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर, सत्र परीक्षण संख्या–702 सन् 2017, 'उ.प्र. राज्य बनाम चन्द्रमोहन आदि' के रूप में माननीय सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में लंबित रहने के पश्चात् अंतरण के माध्यम से इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा अजित कुमार पाण्डेय पुत्र श्री अशोक पाण्डेय, खान निरीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर प्रस्तुत कर दिनांक 07.08.2012 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 07.08.2012 को प्रातः करीब 8.00–9.00 बजे वह मय नायब तहसीलदार श्री राजबहादुर सिंह व श्री अमन सिंह नायब तहसीलदार के साथ मय सरकारी गाड़ी यू.पी.–आर.ए.जी.–0269 टाटा स्पेसियो व गाड़ी नं0–यू.पी.–आर.ए.जी.–0047 महिन्द्रा जीप के साथ मु0नगर से रूड़की रोड़ की तरफ अवैध खनन एवं परिवहन की चैकिंग हेतु गया था, जहां रूड़की चुंगी के पास अवैध खनन करके ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा रेत लाया जा रहा था, जिनमें से 3 ट्रैक्टर ट्रोली अवैध रेत भरा हुआ मुजफ्फरनगर शहर की तरफ आ रहे थे, रोकने पर इनके चालक वाहन छोड़कर भाग गए। उक्त अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों को कब्जे में लेकर रूड़की चौकी चुंगी पर खड़ा किया गया, इस दौरान रेत से लदे आए बिना नम्बर प्लेट के एक आयशर ट्रैक्टर 485 माडल 2011 इंजन नं0–518227278475 चेसिस नं0–519211553325 को समय 8.15 ए.एम. पर रोकने पर ड्राईवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। जब वे लोग इसे अपने कब्जे में लेने लगे , तभी उसी समय चन्द्रमोहन पुत्र पीतम निवासी कृष्णापुरी व अर्जुन व अनिल पुत्रगण सतेन्द्रपाल निवासी रामपुरी व इनके पिता सलेक पाल व योगेन्द्र पुत्र ओमवीर एवं पप्पू पुत्रगण जगराम निवासी उत्तरी रामपुरी मुजफ्फरनगर दीपक पैलेस वाली गली व पाला पुत्र नकलीराम निवासी उत्तरी रामपुरी व धर्मवीर, विपिन पुत्रगण ओमप्रकाश व बिट्टू पुत्र भोपाल निवासीगण जनकपुरी व अनिल व अर्जुन पुत्रगण सतपाल एकता विहार व देवेन्द्र व मनोज व सतेन्द्र (पुत्र नामालूम) निवासी उत्तरी रामपुरी तथा अन्य 30–35 व्यक्ति नाम–पता अज्ञात आ गए तथा जोर–जोर से शोर करते हुए तथा गाली देते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार दो, गाड़ी फूंक दो आदि कहते हुए हाथापाई की तथा मारपीट की गयी तथा श्री राजबहादुर नायब तहसीलदार की घड़ी भी छीन ली तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए कागजात छीनकर फाड़ दिए तथा इनके द्वारा भीड़ से फायर भी

किया गया, जिससे वे बाल–बाल बचते हुए आड़ लेकर छुप गए। तत्पश्चात् इनके द्वारा मुजफ्फरनगर–रूड़की (जी0टी0 रोड़) अवरूद्ध कर दिया गया तथा मौके पर खड़ी सरकारी गाड़ी यू.पी.–आर.ए.जी.–0047 व यू.पी.–आर.ए.जी.–0269 को सड़क पर पलटकर तोड़–फोड़ करने लगे, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त व्यक्तियों के इस कृत्य से आने–जाने वाले जनता के मन में भी भय व आतंक व्याप्त हो गया तथा कुछ लोग अपने वाहनों को मोड़कर भागने लगे तथा कुछ लोग गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। उनके द्वारा इस घटना के विषय में तत्कालीन उच्चाधिकारियों को दूरभाष पर सूचना दी गयी, तब मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा अन्य पुलिस अधिकारी आए, जिसे देखकर उक्त लोग भागने लगे, जिनमें से चन्द्रमोहन पुत्र पीतम निवासी कृष्णापुरी मुजफ्फरनगर को मय रिवाल्वर पकड़ लिया गया। इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूवचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

3. वादी मुकदमा अजित कुमार पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली नगर पर प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण चन्द्रमोहन, अर्जुन, अनिल पुत्र सतेन्द्र पाल, सतेन्द्र पाल, योगेन्द्र, ओमवीर, पप्पू, पाल्ला, धर्मवीर, विपिन, अनिल व अर्जुन पुत्रगण सतपाल, बिट्टू, देवेन्द्र, मनोज व सतेन्द्र पुत्रगण नामालूम एवं 30–35 नाम–पता अज्ञात आदमियों के विरूद्ध दिनांक 07.08.2012 को मुकदमा अपराध सं0–851 सन् 2012 धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504 भा.दं.सं. एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट में किया गया। प्रकरण में विवेचना बलजोर सिंह उपनिरीक्षक द्वारा ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, उनके द्वारा घटना स्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शानजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नामजद अभियुक्तगण अनिल, अर्जुन, सतेन्द्रपाल, जोगेन्दर, पप्पू, धर्मवीर, विपिन, देवेन्द्र, मनोज व बिट्टू की नामजदगी गलत पाए जाने तथा अज्ञात अभियुक्तगण के बारे में जानकारी नहीं होने के फलस्वरूप बाद विवेचना अभियुक्तगण चन्द्रमोहन, श्रीपाल उर्फ पाल्ला, सतेन्द्र, राजू उर्फ राजकुमार, कृष्णपाल तथा ओमवीर के विरूद्ध के विरूद्ध धारा–332, 353, 395, 397, 427,

504 भा.दं.सं. एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरांत अभियुक्तगण चन्द्रमोहन, श्रीपाल उर्फ पाल्ला, सतेन्द्र, राजू उर्फ राजकुमार, कृष्णपाल तथा ओमवीर के विरूद्ध दिनांक 25.08.2017 को आरोप अंतर्गत धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504 भा.दं.सं. एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम विरचित किया गया, जिसे पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा अजीत कुमार पाण्डेय ने लिखित तहरीर को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में अंजार हुसैन परीक्षित हुए हैं। **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित वीर सिंह 'उपनिरीक्षक' ने चिक एफ.आई.आर. को **<u>प्रदर्श क–2</u>** तथा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट की कार्बनप्रति को **<u>प्रदर्श क–3</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित एस.आई. एम.टी. बलवीर सिंह ने वाहन पंजीयन संख्या–यू.पी.12ए.जी.–0047 एवं यू.पी.12ए.जी.–0269 की निरीक्षण रिपोर्ट को **<u>प्रदर्श क–4</u>** तथा **<u>प्रदर्श क–5</u>** के रूप में साबित किया है। **पी. डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित बलजोर सिंह 'सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक' ने नक्शानजरी को **<u>प्रदर्श क–6</u>** तथा आरोप–पत्र को **<u>प्रदर्श क–7</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में राजबहादुर सिंह 'उपजिलाधिकारी' परीक्षित हुए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किए जाने पर अभियुक्तगण ने घटना एवं पी.डब्ल्यू–1 व पी.डब्ल्यू–2 द्वारा दिए गए बयान को गलत होना कहते हुए पी.डब्ल्यू–3 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत तथ्यों पर रिपोर्ट की है तथा पी.डब्ल्यू–4 द्वारा दिए गए बयान को गलत होना कहते हुए पी.डब्ल्यू–5 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत तथ्यों के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है तथा पी.डब्ल्यू–6 द्वारा झूठा साक्ष्य दिया जाना कहते हुए अपने विरूद्ध मुकदमा

रंजिशन चलने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। अभियुक्त चन्द्रमोहन ने कथन किया है कि पुलिस ने रंजिशन झूठा फंसाया है। खान के अवैध पैसे विवेचक बलजोर को दिए जाने थे, वह विवेचक को नहीं दिए, इसी लिए झूठा मुकदमा लिखाया दिया तथा शेष अभियुक्तगण ने कथन किया कि वे मजदूरी का कार्य करते हैं, रेत का व्यापार करने वालों ने झूठा फंसाया है।

7. पत्रावली में संलग्न आदेश–पत्र दिनांकित 15.06.2026 के अनुसार अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य पेश न करने की बाबत पृष्ठांकन किया गया है।

8. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा अजीत कुमार पान्डेय 'खनन निरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को वह बतौर खनन इन्सपैक्टर जनपद मु0नगर में तैनात था। उस दिन वह सुबह के आठ बजे नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह व जमन सिंह के साथ मय सरकारी गाड़ी से मुजफ्फरनगर से रुड़की चुंगी की ओर अवैध खनन एवं परिवहन की चैकिंग हेतु गश्त पर थे। रुड़की चुंगी के पास अवैध खनन करते ट्रैक्टर माफियो द्वारा रेत लाया जा रहा था। तीन ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रेत भरा हुआ था जो मु0नगर की ओर आ रहे थे। रोकने पर उनके चालक वाहन छोड़कर भाग गये। उक्त अवैध रेत से भरे टै्क्टर ट्रोलियों को कब्जे में लेकर पुलिस रुड़की चुंगी पर खड़ा किया। इस दौरान एक आयसर नम्बर मॉडल 2011 जिस पर नम्बर प्लेट नहीं थी, आया, जिसमें रेत लदा था। समय करीब 08:15 बजे उसे रोका गया, रोकते ही ड्राईवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। तभी वे लोग इस टैक्टर को अपने कब्जे में लेने लगे, तभी मुलजिम चन्द्र मोहन पुत्र पीतम, अर्जुन व अनिल पुत्रगण सतेन्द्र पाल व उनके पिता सतेन्द्र पाल, योगेन्द्र पुत्र ओमवीर, पप्पू पुत्र जगराम, पाल्ला पुत्र नकलीराम, धर्मवीर, विपिन, बिट्टू तथा अनिल व अर्जुन पुत्रगण सतपाल नि0गण एकता विहार तथा देवेन्द्र, मनोज, सतेन्द्र आदि 30–35 व्यक्ति जोर जोर से शोर करते हुए गालियां करते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार लो और गाड़ी फूंक दो और हमारे साथ हाथापाई व मारपीट करने लगे। राजबहादुर नायब तहसीलदार की घड़ी भी छीन ली। इन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए हमारे कागजात छीनकर फाड़ दिये। इन्होंने उनके ऊपर फायर भी किया, जिससे वे बाल–बाल बचते हुए आड़ लेकर छुप गये। मुलजिमान द्वारा

जी.टी. रोड़ मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सरकारी गाड़ी यू.पी. आर.ए.जी. 0047 व यू. पी. आर.ए.जी. 0269 को सड़क पर पलटकर तोड़फोड़ करने लगे। दोनों गाडियां क्षतिग्रस्त हो गयी। मुलजिमान के इस कार्य से आने जाने वाले लोगों में भय उत्पन्न हो गया और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन लोगों ने इस घटना सूचना उच्चाधिकारियों को दी। तभी मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व अन्य पुलिस आ गई, जिन्हें देखकर ये सभी लोग भागने लगे, जिनमें से चन्द्रमोहन मुलजिम को मय रिवॉल्वर मौके पर पकड़ लिया। फिर उसने इस घटना की तहरीर स्वयं लिखकर थाना कोतवाली पर दी। गवाह ने तहरीर कागज संख्या 5 को देखकर इसे स्वयं लिखकर थाना कोतवाली पर दिया जाना तथा यह उसके लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

9. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में परीक्षित अंजार हुसैन ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को भी वह इसी तहसील में अमीन के पद पर तैनात था। उस समय तहसील में नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह व जमन सिंह तैनात थे। दिनांक 07.08.2012 को सुबह के आठ बजे वह गाड़ी से नायब तहसीलदार राजबहादुर के साथ रुड़की चुंगी की तरफ आये। हमारे साथ खनन इन्सपैक्टर अजीत कुमार पाण्ड़ेय भी थे। खनन इन्सपैक्टर को डी.एम. साहब की ओर से आदेश हुआ था कि खनन को रोकने हेतु रुड़की चुंगी पर चैकिंग की जाए, जिस पर वे सभी लोगों रुड़की चुंगी पहुंचे तो देखा कि वहां तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा रेत लाया जा रहा था। उन्हें चैक करने के लिए रोका गया। उनके ड्राईवर ट्रैक्टर ट्रोली को छोड़कर भाग गये। ट्रैक्टर को अधिकारियों द्वारा रुड़की चुंगी पर खड़ा किया गया। उस समय सवा आठ बजे का समय था। फिर जब वे लिखा पढ़ी करा रहे थे, तब 25–30 आदमियों की भीड़ वहां आई और उन लोगों पर हमला कर दिया। एस.डी.एम. साहब की गाड़ी को पलटकर तोड़फोड़ कर दिया और भीड़ द्वारा हम लोगों पर हमला कर दिया गया। वे लोग पुलिस चौकी में जाकर छिप गये थे। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। कई थानों की फोर्स मौके पर आ गई थी। उसे तहसीलदार ने तहसील में भेज दिया था। उसके बाद वह तहसील में चला गया था।

10. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित वीर सिंह 'उपनिरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को वह थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर पर बतौर एच.एम. तैनात था। इस दिन वादी मुकदमा अजीत कुमार पाण्डेय खनन निरीक्षक द्वारा दाखिल एक लिखित तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मु0अ0सं0 851 सन 2012 अन्तर्गत धारा 395, 397, 332, 353, 427, 504 आई.पी.सी. व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द किता करते हुए चिक नम्बर 458 सन 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की थी। अभियुक्तगण चन्द्रमोहन आदि व अन्य 30–35 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 851/2012 दि0 07.08.2012 को समय 11:30 ए.एम. पर मेरे द्वारा पंजीकृत किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–11/4 के रूप में संलग्न मूल चिक को अपने हस्तलेख में होना तथा इस पर अपना पदनाम व हस्ताक्षर अंकित होना कहते हुए चिक एफ.आई.आर. को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। साक्षी द्वारा मुख्यपरीक्षा दिनांकित 18.10.2023 में कथन किया गया है कि इस मुकदमें का खुलासा जी.डी. 29 पर दि0 07.08.2012 को समय 11:30 ए.एम. पर उसके द्वारा किया गया था। मुकदमा कायमी जी.डी. 29 कार्बन लगाकर एक ही प्रोसेस में तैयार की गयी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न जी.डी. की कार्बन प्रति कागज संख्या 11/2 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना, असल के मुताबिक सही जी.डी. कायमी 29 की हूबहू कार्बन प्रति होना तथा इसे अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना कहते हुए जी.डी. मुकदमा कायमी की कार्बनप्रति को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है।

11. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित उपनिरीक्षक एम.टी. बलवीर सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को वह एच.सी.एम.टी. के पद पर जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस लाईन में तैनात था, उस दिन उसके द्वारा वाहन सं0 यू.पी. 12ए.जी. 0047 सरकारी जीप का निरीक्षण (टेक्नीकल मुआयना) किया था, जिसका इंजन नं0 एबी51बी10874 व चैसिस नं0 एमए1बीए2ए51बीए51बी13750 था और जो महिन्द्रा कंपनी की गाड़ी थी और जो क्षतिग्रस्त अवस्था में थाना कोतवाली नगर के परिसर में खड़ी थी और मु0अ0सं0 851/2012 अन्तर्गत धारा 395, 397, 332, 353, 427, 504 आई.पी.सी. व 7 सी.एल.ए. एक्ट से संबंधित थी। उसके द्वारा

उपरोक्त वाहन का टैक्नीकल मुआयना उपरोक्त दिनांक को थाना कोतवाली नगर के परिसर में किया गया था। टेक्नीकल मुआयने के समय उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन उपरोक्त वाहन के बाबत तैयार की निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित विवरण के अनुसार कॉलम संख्या–03 बॉडी की दशा आगे व पीछे दाहिनी साईड़ मडगार्ड व मडगार्ड क्षतिग्रस्त है। कॉलम सं0–08, इलैक्ट्रिक सिस्टम आगे दाहिनी साइड में मडगार्ड के पास जो शॉ इंडिकेटर था, वो क्षतिग्रस्त अवस्था में था। कॉलम सं0–10 अन्य क्षति आगे दाहिनी साइड की बम्पर कोहिनी व पीछे का डाला व दाहिनी साइड पीछे का हुड़ क्षतिग्रस्त दशा में था। गवाह ने उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा इस पर उसका पदनाम अंकित होना कहते हुए उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। प्रदर्श क–4 के मुताबिक उपरोक्त वाहन निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त अवस्था में था। दिनांक 07.08.2012 को ही उपरोक्त मु0अ0सं0 851/12 से संबंधित क्षतिग्रस्त वाहन सं0 यू.पी. 12ए.जी. 0269 चैसिस नं0–एमएटी421195 89एफ18996, इंजन नं0 4975पी38एफवाईवाई630330 टाटा स्पेसिमो सरकारी गाड़ी का निरीक्षण उसके द्वारा कोतवाली नगर के परिसर में किया गया था तथा निरीक्षण रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त वाहन उपरोक्त वाहन के बाबत उसके द्वारा मौके पर ही निरीक्षण के समय तैयार की गयी पत्रावली पर संलग्न कागज सं0 7/2 के कॉलम सं0 3 के अनुसार बांयी साइड से पीछे से बॉडी क्षतिग्रस्त थी। कॉलम सं0 8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार वी0आई0पी0 लाईट, वायरिंग क्षतिग्रस्त थी तथा कॉलम सं0 08 के अनुसार बांयी साईड के टायरों की व्हील कैप क्षतिग्रस्त थी व कॉलम सं0 10 अन्य क्षतिके अनुसार बांयी साइड आगे व पीछे की साइड के बंपर व बंपर कोहनी क्षतिग्रस्त थी तथा बांयी साइड की डिग्गी के शीशे व पिछली दोनों सीट्स क्षतिग्रस्त थी व बांयी साइड का पायदान क्षतिग्रस्त दशा में था। निरीक्षण रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त वाहन के अनुसार उपरोक्त वाहन टेक्नीकल मुआने के समय क्षतिग्रस्त अवस्था में था। गवाह ने उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा इस पर अपना पदनाम अंकित होना कहते हुए उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। प्रदर्श क–4 पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 7/4 है।

12. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बलजोर सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012

को वह उपनिरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली जिला मु0नगर में तैनात था। मुकदमा उपरोक्त उसकी मौजूदगी में पंजीकृत होकर विवेचना हस्ब आदेश प्रभारी निरीक्षक उसके सुपुर्द की गयी। दिनांक 07.08.2012 को वादी मुकदमा अजीत कुमार पान्डेय खनन निरीक्षक की तहरीर के आधार पर चन्द्रमोहन आदि चन्द्रमोहन, अर्जुन, अनिल, सतेन्द्रपाल, योगेन्द्र, ओमवीर पप्पू, पाल्ला, धर्मवीर विपिन बिट्टू, अनिल, अर्जुन पुत्र सतपाल, देवेन्द्र, मनोज व सतेन्द्रपाल व अन्य 30–35 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुए मु0अ0सं0 851 सन 2012 अन्तर्गत धारा 395, 397, 332, 353, 427, 504 आई.पी.सी. व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर की विवेचना दिनांक 07.08.2012 को उसने ग्रहण की और थाना कार्यालय से नकल एफ.आई.आर. व नकल रपट प्राप्त कर उनका अवलोकन करते हुए सी.डी. के पर्चा नं0 1 में उनकी नकल उसके द्वारा किता की गयी थी। उसी पर्चे में उसने वादी मुकदमा के 161 सी.आर.पी.सी. के बयान लेकर अंकित किये थे, जिन्होंने अपने बयान में एफ0आई0आर0 का पूर्ण समर्थन किया था। गवाह ने उसी दिन वादी मुकदमा की निशान्देही पर स्वयं द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण करते हुए तैयार किए गए पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 8 के रूप में संलग्न घटनास्थल के नक्शानजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा इस पर अंकित तिथि 07.08.2012 अंकित घटनास्थल के अनुसार सही होना तथा इस पर संकेत के चिन्ह अंकित होना कहते हुए उक्त नक्शानजरी को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है तथा एच.एम. 72 वीर सिंह का बयान भी मेरे द्वारा सी.डी. के पर्चा नम्बर में अंकित किया गया था तथा समई साक्षीगण ब्रजपाल, राजपाल, बिजेन्द्र के बयान भी उसके द्वारा लेकर सी.डी. के पर्चा नं0 1 में अंकित किये गये थे तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रमोहन पुत्र पीतम सिंह के बयान उसके द्वारा थाना कोतवाली पर लेकर पहले पर्चे में अंकित किये गये थे, जिसमें उसने अपने जुर्म का इकबाल किया था। दिनांक 08.08.2012 को उसके द्वारा किता किए गए केस डायरी का पर्चा नं0 2 में उसने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वाहनों की टेक्नीकल रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उनका अवलोकन कर उनकी नकल सी0डी0 में अंकित की थी। इसी पर्चे में उसके द्वारा महेश व अंजार हुसैन के बयान लेकर सी.डी. में अंकित किये थे। सी.डी. पर्चा नं0 3 दिनांकित 09.08.2012 अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार व अभियुक्त कृष्णपाल जो गिरफ्तार करने से संबंधित है तथा इसी पर्चे में दोनों अभियुक्तगण के बयान

लेकर सी.डी. में अंकित किये गये थे। सी.डी. पर्चा नं0 4 दिनांकित 16.08.2012 में मैंने नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह का 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान लेकर अंकित किया था, जिन्होंने अपने बयान में उपरोक्त मुकदमें की घटना का पूर्ण समर्थन किया था। सी.डी. पर्चा नं0 5 दिनांकित 20.08.2012 व पर्चा नं0 6 दिनांकित 21.08.2012 तलाश वांछित अभियुक्तगण व उनकी दबिश से संबंधित है। सी.डी. पर्चा नं0 7 दिनांकित 23.08.2012 अभियुक्त सतेन्दर पुत्र महावीर की गिरफ्तारी से संबंधित है तथा उसी पर्चे में उपरोक्त अभियुक्त का बयान लेकर सी.डी. में अंकित किया गया था। पर्चा नं0 8 दिनांकित 30.08.2012 अभियुक्त श्रीपाल उर्फ पाल्ला की गिरफ्तारी से संबंधित है और उसी पर्चे में उसके द्वारा अभियुक्त का बयान लेकर सी.डी. में अंकित किया गया था। पर्चा नं0 9 दिनांकित 04.09.2012 अभियुक्तगण ओमवीर सिंह, अनिल व विपिन, बिट्टू उर्फ टीटू की गिरफ्तारी हेतु उनके मकानों पर व सम्भावित स्थानों पर दबिश देने से संबंधित है। पर्चा नं0 10 दिनांकित 15.09.2012 में मेरे द्वारा कां0 यशवंत त्यागी, कां0 ब्रजपाल के बयान लेकर सी.डी. में अंकित किये थे तथा इसी पर्चे में राजकुमार का बयान लेकर सी0डी0 में किया था। पर्चा नं0 11 दिनांकित 01.10.2012 में बिजेन्द्र त्यागी, जयपाल के बयान लेकर उसके द्वारा सी.डी. में अंकित किये गये थे। पर्चा नं0 12 दिनांकित 08.10.2012 में उसके द्वारा कां0 धर्म सिंह, कां0 मैनपाल एवं पर्चा नं0 13 दिनांकित 16.10.2012 में नायब तहसीलदार छपार सर्किल जम्मन सिंह तथा अमीन तसलीम एवं पर्चा नं0 14 दिनांकित 01.11.2012 में मेरे द्वारा राजू श्योराज के बयान लेकर केस डायरी में अंकित किये गये थे तथा उसके द्वारा इस तारीख तक की गयी विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर इस मुकदमें की घटना में चन्द्रमोहन पुत्र पीतम निवासी कृष्णापुरी थाना कोत0 नगर जिला मुजफ्फरनगर श्रीपाल उर्फ पाल्ला पुत्र नकली निवासी उत्तरी रामपुरी थाना कोत0 नगर, सतेन्द्र पुत्र महावीर निवासी रामपुरी थाना कोतवाली नगर, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र पालेराम व कृष्णपाल पुत्र जगराम, ओमवीर पुत्र जगराम समस्त निवासीगण रामपुरी व उत्तरी रामपुरी थाना कोतवाली नगर, जिला मु0नगर के विरुद्ध घटना कारित करना तथा इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 01.11.2012 को उसके द्वारा मु0अ0सं0 851/2012 में अन्तर्गत धारा 395, 397, 332, 353, 427, 504 आई.पी.सी. व 7 कि0 लॉ0 एमेंडमेंट एक्ट थाना कोतवाली नगर में आरोप पत्र संख्या 619/12 अवर न्यायालय को

प्रेषित किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–3 के रूप में संलग्न मूल आरोप पत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए उक्त आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है।

13. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित उपजिलाधिकारी राजबहादुर सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को वह नायब तहसीलदार कूकड़ा के पद पर तैनात था। उपरोक्त दिनांक को वह व जमन सिंह नायब तहसीलदार के साथ प्रदर्श क–1 में अंकित सरकारी गाड़ी व महिन्द्रा जीप के साथ खनन निरीक्षक अजीत कुमार पान्डेय व मय अमीन तसलीम व चालक राजेश के साथ तथा अन्जार हुसैन व चालक महेश के साथ मुजफ्फरनगर से रुड़की रोड़ की तरफ अवैध खनन व परिवहन की चैकिंग हेतु गये थे। जब वे सभी लोग रुड़की चुंगी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि अवैध खनन करके रेत/बालू लाए जा रहे ट्रैक्टर ट्रोलियों में से तीन ट्रैक्टर खाली अवैध रेत से भरे हुए मु0नगर शहर की ओर आ रहे थे। जब उन्होंने इनको रोका तो इनके चालक उपरोक्त वाहन छोड़कर भाग गये थे, जिसके बाद उन्होंने उन तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेते हुए रुड़की पुलिस चौकी चुंगी पर खड़ा करा दिया था, जिसका विस्तृत विवरण प्रदर्श क–1 में अंकित है। इसी दौरान एक आयशर ट्रैक्टर 485 मॉडल 2011 जिसका इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर क्रमशः 518227278475 व 5619211553325 थे, जिस पर नम्बर प्लेट नहीं थी, जिसमें रेत लदा हुआ था, जिसे समय लगभग 08:15 ए.एम. पर रोका गया था और रोकते ही ड्राईवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मय रेत के भाग गया था। जब वे लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेने लगे तो उसी समय चन्द्रमोहन पुत्र पीतम निवासी कृष्णापुरी एवं अर्जुन व अनिल पुत्र सतेन्द्र पाल निवासी रामपुरी व उनके पिता सतेन्द्र पाल एवं योगेन्द्र पुत्र ओमवीर व ओमवीर एवं पप्पू पुत्र जगराम निवासी उत्तरी रामपुरी मु0नगर दीपक पैलेस वाली गली व पाल्ला पुत्र नकलीराम निवासी उत्तरी रामपुरी व धर्मवीर विपिन पुत्र ओमप्रकाश व बिट्टू पुत्र भोपाल निवासी जनकपुरी एवं अनिल व अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी एकता विहार एवं देवेन्द्र मनोज, सतेन्द्र (पुत्र नामालूम) निवासी उत्तरी रामपुरी तथा अन्य 30–35 व्यक्ति जिनके नाम पते हम नहीं जानते थे, ये 30–35 अज्ञात लोग भी आ गये और शोर शराबा व गाली गलौच करते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार दो और गाड़ी फूंक दो, हाथापाई पर उतर आये और मारपीट करने लगे, उसकी घड़ी भी छीन ली थी

तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए सरकारी कागज फाड़ दिये। उस उपद्रवी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया, जिससे वे बाल–बाल बच गये और झाड़ियों की आड़ लेकर छिप गये थे, जिसके बाद उपरोक्त लोगों व 30–35 अज्ञात लोगों की भीड़ ने एन.एच. जाम कर दिया था तथा मौके पर खड़ी सरकारी गाड़ी जिसमें हम आये थे तथा जिनके नम्बर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित हैं, उनको सड़क पर पलटते हुए तोड़फोड़ करते हुए दोनों सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी थी। उपरोक्त लोगों इस कृत्य के कारण जनता के व्यक्तियों में भय उत्पन्न हो गया और मौके पर भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया तथा आने–जाने वाले राहगीर भी अपने–अपने वाहनों को वापिस मोड़कर भागने लगे और लोग–बाग अपनी जान बचाने में लग गये। उन लोगों ने तत्काल ही इस वारदात की सूचना टेलीफोन के माध्यम से अपने उच्चाधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण मौके पर आये थे। पुलिस को देखकर ये लोग मौके से भाग गये, उनमें से चन्द्रमोहन पुत्र पीतम निवासी कृष्णापुरी को मय रिवॉल्वर के मौके से पकड़ लिया था। इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली नगर पर खनन निरीक्षक अजीत कुमार पान्डेय ने तहरीर देकर दर्ज करायी थी। चन्द्रमोहन को करीब 11 बजे दिन मौके पर पकड़ लिया था और पुलिस बल की सहायता से चन्द्रमोहन को थाने लेकर आये थे और उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया था। चूंकि आयशर ट्रैक्टर 485 की उपद्रवी भीड़ ने मौके पर टायरों की हवा निकाल दी थी, इसलिए पुलिस बल के साथ उक्त ट्रैक्टर को थाने पर लाया गया था। घटना के संबंध में विवेचना अधिकारी ने उसका बयान लिया था, जिन्हें उसने घटना की सारी बातें जांच के दौरान बता दी थी। घटना वाली दिनांक 07.08.2012 को ही उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया था।

14. मैंने अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

15. सहायक जिला शासाकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा बहस के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा अजीत कुमार पाण्डेय 'खनन निरीक्षक' द्वारा मय नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह एवं जमन सिंह के साथ सरकारी गाड़ी पंजीयन संख्या–यू.पी.–आर.ए.जी.–0047 एवं यू.पी.–आर.ए.जी.

–0269 से अवैध खनन एवं परिवहन की चैकिंग हेतु जाने पर रूड़की चुंगी के पास अवैध खनन करके अवैध रेत भरा हुआ मुजफ्फरनगर शहर की तरफ आ रहे 03 ट्रैक्टर ट्रोली को रोकने पर इनके चालक वाहन छोड़कर भाग गए। उक्त अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों को कब्जे में लेकर रूड़की चौकी चुंगी पर खड़ा किया गया। इस दौरान रेत से लदे आए बिना नम्बर प्लेट के एक आयशर ट्रैक्टर 485 माडल 2011 इंजन नं0–518227278475 चेसिस नं0–519211553325 को समय 8.15 ए.एम. पर रोकने पर ड्राईवर के ट्रैक्टर छोड़कर भागने पर उनके द्वारा इसे अपने कब्जे में लेने के समय अभियुक्तगण तथा अन्य 30–35 व्यक्ति नाम–पता अज्ञात आ गए तथा जोर–जोर से शोर करते हुए तथा गाली देते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार दो, गाड़ी फूंक दो आदि कहते हुए हाथापाई की तथा मारपीट की गयी तथा श्री राजबहादुर नायब तहसीलदार की घड़ी भी छीन ली तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए कागजात छीनकर फाड़ दिए तथा इनके द्वारा भीड़ से फायर भी किया गया, जिससे वे बाल–बाल बचते हुए आड़ लेकर छुप गए। तत्पश्चात् इनके द्वारा मुजफ्फरनगर–रूड़की (जी0टी0 रोड़) अवरूद्ध कर दिया गया तथा मौके पर खड़ी सरकारी गाड़ी यू.पी.–आर.ए.जी. –0047 व यू.पी.–आर.ए.जी.–0269 को सड़क पर पलटकर तोड़–फोड़ करने लगे, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त व्यक्तियों के इस कृत्य से आने–जाने वाले जनता के मन में भी भय व आतंक व्याप्त हो गया तथा कुछ लोग अपने वाहनों को मोड़कर भागने लगे तथा कुछ लोग गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। अभियोजन की ओर से पेश साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किया जाए।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के तर्कों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से यह कहा गया कि अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध खनन करके लाए गए ट्रैक्टर ट्रोली बरामद नहीं हुई और न ही अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उनके साथ आए लोकसेवकों के साथ कोई मारपीट नहीं की। अभियुक्तगण ने लोकसेवकों के साथ घोर उपहति करने के प्रयत्न के साथ सरकारी कागज नहीं फाड़े और न ही नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह की घड़ी छीनकर डकैती की। अभियुक्तगण ने सरकारी गाड़ियों पंजीयन संख्या–यू. पी.–आर.ए.जी.–0047 एवं यू.पी.–आर.ए.जी.–0269 में कोई तोड़–फोड़ भी नहीं की

और न ही लोकसवकों के साथ गालीगलौच की। अभियुक्तगण ने ऐसा कृत्य भी नहीं किया जिससे कथित घटना के समय आने–जाने वाले जनता के मन में भी भय व आतंक व्याप्त हो गया तथा कुछ लोग अपने वाहनों को मोड़कर भागने लगे तथा कुछ लोग गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगे। कथितघटना दिन के समय मुख्य मार्ग/जी.टी. रोड़ की होने के बावजूद भी अभियोजन की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत मामले में साक्ष्य हेतु पेश नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

17. आपराधिक विधि का यह मौलिक सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा।

18. **नरेन्द्र सिंह केशूभाईजला बनाम गुजरात राज्य 2023 एस.सी.सी. (एस.सी.) व स्टेट ऑफ महाराष्ट्रबनाम हेमंत कवाडू चौरीवाल आदि (एस.सी.) 2016 (1) जे.सी.आर. सी. 69** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दाण्डिक परीक्षण में यह अभियोजन का कर्त्तव्य है कि वह अपनी सभी बातें संदेह सीमा से बाहर सिद्ध करे। **शंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस.सी.सी. एवं दीवान सिंह प्रति स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2016 (1) जे.सी.आर.सी. 974** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर हो, किन्तु फिर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

19. पत्रावली पर उपलबध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक मूल्यांकन किया गया। अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.08.2012 को उसके द्वारा सुबह के आठ बजे नायब तहसीलदार राजबहादुर सिंह व जमन सिंह के साथ मय सरकारी गाड़ी से मुजफ्फरनगर से रुड़की चुंगी की ओर अवैध खनन एवं परिवहन की चैकिंग हेतु गश्त के दौरान रुड़की चुंगी के पास अवैध खनन करके ट्रैक्टर माफियो द्वारा अवैध रेत भरकर मुजफ्फरनगर की ओर आ रही 03 ट्रैक्टर ट्राली को रोकने पर उनके चालक वाहन छोड़कर भाग गये। उक्त अवैध रेत से भरे टै्क्टर ट्रोलियों को कब्जे में लेकर पुलिस रुड़की चुंगी पर खड़ा किया। इस दौरान रेत से लदे बिना नम्बर प्लेट के एक ट्रैक्टर आयसर नम्बर मॉडल 2011

को समय करीब 08:15 बजे रोकने पर रोकते ही ड्राईवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। उनके द्वारा इस टैक्टर को अपने कब्जे में लेने के दौरान मुलजिम चन्द्र मोहन पुत्र पीतम, अर्जुन व अनिल पुत्रगण सतेन्द्र पाल व उनके पिता सतेन्द्र पाल, योगेन्द्र पुत्र ओमवीर, पप्पू पुत्र जगराम, पाल्ला पुत्र नकलीराम, धर्मवीर, विपिन, बिट्टू तथा अनिल व अर्जुन पुत्रगण सतपाल नि0गण एकता विहार तथा देवेन्द्र, मनोज, सतेन्द्र आदि 30–35 व्यक्ति जोर जोर से शोर करते हुए गालियां करते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार लो और गाड़ी फूंक दो और हमारे साथ हाथापाई व मारपीट करने लगे। राजबहादुर नायब तहसीलदार की घड़ी भी छीन ली। इन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए हमारे कागजात छीनकर फाड़ दिये। इन्होंने उनके ऊपर फायर भी किया, जिससे वे बाल–बाल बचते हुए आड़ लेकर छुप गये। मुलजिमान द्वारा जी.टी. रोड़ मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सरकारी गाड़ी यू. पी. आर.ए.जी. 0047 व यू.पी. आर.ए.जी. 0269 को सड़क पर पलटकर तोड़फोड़ करने लगे। दोनों गाडियां क्षतिग्रस्त हो गयी। मुलजिमान के इस कार्य से आने जाने वाले लोगों में भय उत्पन्न हो गया और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन लोगों ने इस घटना सूचना उच्चाधिकारियों को दी। तभी मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व अन्य पुलिस आ गई, जिन्हें देखकर ये सभी लोग भागने लगे, जिनमें से चन्द्रमोहन मुलजिम को मय रिवॅाल्वर मौके पर पकड़ लिया। उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि वह सभी मुलजिमान को पहचान नहीं सकता कि कौन–सा मुलजिम है। उसने एक बार ही मुलजिमान देखे हैं। एक मुलजिमान चन्द्रमोहन न्यायालय में है जिसे वह अब नहीं पहचानता। उक्त गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि यह मुकदमा किन–किन धाराओं में है। मौके पर एक मुलजिम पकड़ा गया था और सभी मुलजिमान भाग गए थे। मौके पर मुलजिमान रूक्का रोला कर रहे थे, गालीगलौच कर रहे थे, इसके अलावा मौके पर कोई घटना नहीं हुई। मौके पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 30–35 लोग थे, जिनके नाम वह इस समय नहीं बता सकता। भीड़ में जिन मुलजिमान ने फायर किया था, उसका भी नाम नहीं जानता। रोड़ जाम हो गया था। घटनास्थल से किस मुलजिम की गिरफ्तारी हुई थी, उसे याद नहीं है।

20. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित अंजार हुसैन 'अमीन' तहसील सदर मुजफ्फरनगर ने मुख्यपरीक्षा में दिनांक 07.08.2012 को

वादी मुकदमा एवं अन्य के साथ स्वयं को खनन रोकने हेतु रूड़की चुंगी की तरफ चैकिंग करने हेतु जाना कहते हुए यह कथन किया है कि ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा लायी जा रही रेत को देखकर रोकने पर उनके चालकों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भागने पर ट्रैक्टर को अधिकारियों रूड़की चुंगी पर खड़ा किया गया। सवा आठ बजे के उनके द्वारा लिखापढ़ी करने के दौरान वहां पर आयी 25–30 आदमियों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, एस.डी.एम. की गाड़ी पलटकर तोड़ फोड़ कर दिया और वे लोग पुलिस चौकी में जाकर छिप गए थे। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़ फोड़ की। उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि घटना के समय मौके पर कोई ट्राली नहीं थी। मौके पर काफी लोग आ गए थे। वह मुलजिमान को देखकर नहीं पहचान सकता। काफी पुरानी घटना हो गयी है, इसलिए वह अब किसी को नहीं पहचान सकता। उसके सामने किसी मुलजिम को मय पिस्टल के नहीं पकड़ा, क्योंकि वह मौके से घबराकर चला गया था।

21. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित एस.आई. वीर सिंह ने मुख्यपरीक्षा में प्रस्तुत प्रकरण की चिक एफ.आई.आर. एवं जी.डी. मुकदमा कायमी को क्रमशः प्रदर्श क–2 व 3 के रूप में साबित करते हुए, जिरह में यह कहा है कि इस मुकदमे में किन–किन मुलजिमों के नाम प्रकाश में आए, वह नहीं बता सकता।

22. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में कथित रूप से क्षतिग्रस्त वाहनों का तकनीकी परीक्षण करने वाले साक्षी एस.आई. एम.टी. बलवीर सिंह पी. डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में सरकारी जीप वाहन संख्या यू.पी.12ए.जी.–0047 इंजन नं0–ए.बी.51बी.10874 व चेसिस नं0–एम.ए.1बी.ए.जेड.ए.51बी.ए.51बी.13750 एवं वाहन टाटा सेपिसिमो पंजीयन संख्या यू.पी.12ए.जी.–269 चेसिस नं0–एम.ए.टी.42119589एफ.–18996 व इंजन नं0–4975पी.38एफ.वाई.वाई.630330 का तकनीकी परीक्षण किया जाना तथा उक्त दोनों वाहनों की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श क–4 व 5 के रूप में साबित किया जाना कहते हुए, जिरह में यह कथन किया है कि कोतवाली के विवेचक जो उस समय तैनात थे, उन्होंने उसे लिखित में प्रार्थनापत्र दिया था कि उनको सरकारी जीप का टैक्नीकल मुआयना किया है, किस तारीख में सूचना मिली थी, इस समय ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि उसने दोनों निरीक्षण

टैक्नीकल दिन के समय किए थे, समय नहीं लिखा है और न ही वे टैक्नीकल मुआयना की रिपोर्ट में समय लिखते हैं। उसे दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

23. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–5 के रूप में परीक्षित विवेचक सेवानिवृत्त एस.आई. बलवीर सिंह ने मुख्यपरीक्षा में प्रकरण की विवेचना किया जाना कहते हुए, जिरह में कथन किया है कि इस समय उसके याद नहीं है कि घटनास्थल पर उसे कोई जीप मिली हो। उसने घटनास्थल पर न तो जीप पलटी हुई देखी, न ही ट्रैक्टर पलटा हुआ देखा। वादी ने उसे नहीं बताया था कि सरकारी जीप व ट्रैक्टर कहां हैं। वादी ने अपने बयान में फायर करने वाली बात बतायी थी, पर यह नहीं बताया था कि फायर किसने किया। भीड़ में से किसी ने फायर किया था, पर नाम नहीं बताया था। उसने सरकारी जीप व स्कार्पियो नहीं देखी। जीप सरकारी व स्कार्पियो का नम्बर उसके याद नहीं है। यह कहना सही है कि घटना काफी पुरानी है, इसलिए वह मुलजिमान के क्या–क्या नाम हैं, नहीं बता सकता। उसने किसी पुलिस कर्मचारी के बयानों में जिन व्यक्तियों की नामजदगी गलत की गयी, उनके नाम नहीं लिखे थे। पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपने बयान में चन्द्रमोहन, पाल्ला, राजकुमार, ओमवीर, कृष्णपाल व सतेन्द्र को मौके पर हल्ला–गुल्ला करते हुए मौके पर ट्रैक्टर–ट्राली व सरकारी जीप व वाहन को पलटने की बात बतायी थी, अन्य के द्वारा ऐसा करना नहीं बताया था।

24. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–6 के रूप में परीक्षित तथ्य के साक्षी राजबहादुर सिंह 'उपजिलाधिकारी' ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वे अन्य जमन सिंह नायब तहसीलदार के साथ प्रदर्श क–1 में अंकित सरकारी गाड़ी के साथ खनन निरीक्षक अजीत कुमार पाण्डेय व अमीन तसलीम व चालक राकेश तथा अंजार हुसैन व चालक महेश के साथ मुजफ्फरनगर से रूड़की रोड़ की तरफ अवैध खनन व परिवहन की चैकिंग हेतु गए थे। उनके द्वारा रूड़की चुंगी के पास पहुंचने पर उनके द्वारा अवैध खनन करके रेत/बालू से भरे हुए मुजफ्फरनगर शहर की ओर आ रहे ट्रैक्टर ट्रालियों में से 03 को रोकने पर इनके चालक वाहन छोड़कर भाग गए। उक्त तीनों ट्रैक्टर ट्रालियों को कब्जे में लेते हुए पुलिस चौकी चुंगी पर खड़ा करा दिया था, इसी दौरान रेत से लदे हुए बिना नम्बर प्लेट के आए एक आयशर ट्रैक्टर 485 मॉडल 2011 को समय लगभग 8.15 ए.एम. पर रोकने पर, रूकते ही चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मय रेत के भाग

गया। ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में लेने के समय चन्द्रमोहन, अर्जुन व अनिल पुत्र सतेन्द्रपाल, उनके पितासतेन्द्रपाल, योगेन्द्र, ओमवीर, पप्पू, पाला, धर्मवीर, विपिन, बिट्टू, अनिल व अर्जुन पुत्रगण सतपाल तथा अन्य 30–35 व्यक्ति जिनके नाम पते वे नहीं जानते थे, आ गए और शोरशराब व गालीगलौच करते हुए कहने लगे कि घेर लो, मार दो और गाड़ी फूंक दो, हाथापाई पर उतर आए और मारपीट करने लगे तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए सरकारी कागज फाड़ा दिए। इस उपद्रव भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया, जिससे वे बाल–बाल बच गए थे और झाड़ियों की आड़ लेकर छिप गए थे। जिसके बाद उपरोक्त लोगों व 30–35 अज्ञात लोगों की भीड़ ने एन.एच. जाम कर दिया था तथा मौके पर खड़ी सरकारी गाड़ी जिससे वे आए थे, को सड़क पर पलटते हुए तोड़ फोड़ करते हुए उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था। उक्त कृत्य के कारण जनता के व्यक्तियों में भय उत्पन्न हो गया और मौके पर भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया तथा आने–जाने वाले राहगीर भी अपने–अपनेवाहनों को वापिस मोड़कर भागने लगे और लोग–बाग अपनी जान बचाने में लग गए। उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि वे जिलाधिकारी के आदेश पर चैकिंग के लिए चले थे। उसे नहीं पता कि आदेश लिखित में कोई आया था। उनकी टाटा स्पेसियो गाड़ी थी, जिसका नम्बर अब उसके याद नहीं है। उन्हें जानकारी मिली थी कि रूड़की रोड़ पर बालू रेत के आने की सूचना मिली थी। सूचना किस प्रकार मिली थी, अब याद नहीं है। उन्हें मौके पर बालू के तीन ट्रैक्टर मिले थे, उन्हें ट्रैक्टर के मालिकों के बारे में जानकारी नहीं हो पायी थी, क्योंकि चालक मौके से भाग गए थे। जब तक विवेचक ने जांच की, तब तक भी पता नहीं चल पाया कि ट्रैक्टर किसके थे। घटनास्थल पर 40–50 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो गए थे। भीड़ में से किसी ने फायर किया था। उसे नहीं पता कि भीड़ में से किसने फायर किया था। भीड़ में से किसने उसकी घड़ी छीनी थी, यह भी ज्ञात नहीं है। वह हाजिर अदालत मुलजिमान में से किसी भी मुलजिम को न तो पहचानता है और न ही जानता है। मौके पर जो गाड़ी पलटी थी, उसे सीधी कराकर वे मिस्त्री के ले गए थे। वे दूसरी गाड़ी से चले गए थे। जब खनन अधिकारी द्वारा थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, तब वह उनके साथ था। उन्होंने 30–40 आदमियों के नाम, नामजद के अलावा रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी। यह बात सही है कि जिसने फायर किया था, उसका नाम वह आज भी नहीं बता

सकता। पुलिस ने इस केस में कितनों के नाम निकाले व कितने मुलजिम पकड़े, उसे जानकारी नहीं है। इस समय उसके ध्यान नहीं है कि किस तारीख को विवेचक ने उसका बयान लिया था।

25. इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा के कथनानुसार, उसके कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद भी उसके द्वारा सभी मुलजिमान को पहचानने से इंकार करते हुए तहरीर के अनुसार मौके से गिरफ्तार किए गए एक मात्र अभियुक्त चन्द्रमोहन को नहीं पहचाना गया है। उक्त साक्षी ने मौके पर रूक्का रोला व गालीगलौच करने के अलावा मौके पर कोई घटना नहीं होना कहते हुए यह स्वीकार किया है कि मौके पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 30–35 लोगों के नाम वह इस समय नहीं बता सकता तथा भीड़ में फायर करने वाले मुलजिम का भी नाम नहीं जानता। इस संबंध में विवेचक पी.डब्ल्यू–5 ने भी वादी द्वारा अपने बयान में भीड़ में से फायर करने वाले का नाम नहीं बताया जाना कहा है। साक्षी पी.डब्ल्यू–1 ने घटना स्थल से गिरफ्तार हुए मुलजिम का नाम याद होने से भी इंकार किया है। पी.डब्ल्यू–1 ने अपने साक्ष्य में मौके पर 30–35 लोगों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए जाने का कथन किया है, जबकि पी.डब्ल्यू–6 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि खनन अधिकारी द्वारा थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के समय वह उनके साथ था, उन्होंने 30–40 अन्य के नाम, नामजद के अलावा रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी। साक्षी पी.डब्ल्यू–2 ने घटना के समय मौके पर कोई ट्राली मौजूद होने से इंकार करते हुए यह कहा है कि घटना काफी पुरानी होने के कारण वह मुलजिमान को देखकर नहीं पहचान सकता। पी.डब्ल्यू–3 ने अपने साक्ष्य में मुकदमे में प्रकाश में आए मुलजिमान के नाम नहीं बता सकने का कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में कथित रूप से क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का तकनीकी परीक्षण करने वाले साक्षी ने अपने साक्ष्य में उक्त वाहनों का विवरण इस प्रकार दिया गया है – सरकारी जीप वाहन संख्या यू.पी.12ए.जी.–0047 इंजन नं0–ए.बी. 51बी.10874 व चेसिस नं0–एम.ए.1बी.ए.जेड.ए.51बी.ए.51बी.13750 एवं वाहन टाटा सेपिसिमो पंजीयन संख्या यू.पी.12ए.जी.–269 चेसिस नं0–एम.ए.टी.42119589एफ. –18996 व इंजन नं0–4975पी.38एफ.वाई.वाई.630330। उक्त वाहनों से संबंधित तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 में भी वाहनों का विवरण उपरोक्तानुसार दर्शाया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी/वादी

मुकदमा ने अपने साक्ष्य में उक्त दोनों वाहनों का पंजीयन संख्या–यू.पी.–आर.ए.जी. –0047 एवं यू.पी.–आर.ए.जी.–0269 बतायी है, जो एक–दूसरे से परस्पर भिन्न हैं तथा उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है कि कथित घटना में क्षतिग्रस्त हुए उक्त दोनों वाहन वे ही थे, जिनका विवरण पी.डब्ल्यू–1 वादी मुकदमा द्वारा अपनी लिखित तहरीर में दर्शाया गया है तथा उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में उक्त वाहनों का तकनीकी परीक्षण किए जाने के संबंध में तैयार की गयी परीक्षण रिपोर्ट में समय भी अंकित नहीं होना कहते हुए दुर्घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास विद्यमान होने के फलस्वरूप, उक्त साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद होना नहीं पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक पी.डब्ल्यू–5 द्वारा अपने साक्ष्य में घटना काफी पुरानी होने के कारण मुलजिमान के नाम नहीं बता सकना कहा है। उक्त साक्षी ने किसी पुलिस कर्मचारी के बयानों में गलत नामजद किए गए व्यक्तियों के नाम नहीं लिखा जाना कहा है। तथ्य के साक्षी पी.डब्ल्यू–6 ने अपने साक्ष्य में जिलाधिकारी के आदेश पर चैकिंग के लिए चलना कहा है, परंतु लिखित आदेश के बारे में पता होने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने रूड़की रोड़ पर बालू/रेत के आने की जानकारी मिलना कहते हुए, सूचना प्राप्त होने के माध्यम के संबंध में याद नहीं होना कहा है। उक्त साक्षी ने स्वयं को ट्रैक्टर मालिकों के बारे में जानकारी नहीं हो पाना कहते हुए, विवेचक द्वारा विवेचना किए जाने तक भी ट्रैक्टर मालिकों के बारे में कोई पता नहीं चलना कहा है। इस प्रकार मामले के विवेचक पी. डब्ल्यू–5 द्वारा भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना किया जाना नहीं पाया जाता है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के दौरान कथित घटना स्थल के आसपास लोगों से कोई पूछताछ नहीं की गयी एवं कथित घटना की वास्तविकता/सत्यता जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया जाना पाया जाता है। विवेचक द्वारा घटना के किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान न लेकर मात्र शासकीय/पुलिस साक्षियों के बयानों के आधार पर ही मामले में आरोप–पत्र प्रेषित कर दिया गया। जो कि विवेचना में बहुत ही मनमानीपूर्ण, लापरवाही का परिचायक है। **भारत संघ बनाम लीला मार्टिन 2018 जे.सी.आर.सी.** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अवधारित किया गया है कि केवल पुलिस वालों के कथन दोषसिद्ध का आधार नहीं हो सकते हैं। **बिजेन्दर उर्फ मदार बनाम हरियाणा राज्य (एस.सी.) 2022 लॉ फाइंडर** के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अवधारित किया गया है कि अभियुक्त के अपराध को बनाये रखने के लिये, वसूली/बरामदगी अभेद्य होनी चाहिए और संदेह के तथ्यों से ढकी होनी नहीं चाहिए। जहां किसी पुलिस द्वारा स्थानीय गवाहों की उपस्थिति का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा पुलिस द्वारा की गयी ऐसी बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। किसी भी पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्वि कायम नहीं रखी जा सकती है। **प्रकाश सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश 2024 लॉ फाईंडर** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब सभी गवाह पुलिस विभाग से संबंधित थे एवं अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तो ऐसे मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। **गोरखनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य एस.सी.सी. 2018** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि तब तक अभियोजन का मामला पूरी तरह से सरकारी गवाहों के बयानों पर आधारित हो जब कोई स्वतंत्र गवाह जांच में शामिल न हुआ हो, केवल पुलिस की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। **पंकज बनाम राजस्थान राज्य 2016 (3) सी.सी.एस.सी. 1665 (एस.सी.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों/साक्ष्य में न तो गुणवत्ता है, न ही विश्वसनीयता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

26. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य/सामग्री के विश्लेषण/मूल्यांकन से एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद, स्पष्ट, उत्कृष्ट गुणवत्ता के होना नहीं पाए गए हैं। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा एवं उनके साथ रहे अन्य व्यक्तियों को उनके कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए उन पर हमला करके मारपीट करना, वादी मुकदमा एवं अन्य के साथ घोर उपहति कारित करन का प्रयत्न करते हुए व सरकारी कागज फाड़ते हुए नायब तहसीलदार की घड़ी छीनकर डकैती करना, सरकारी गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर उनको क्षतिग्रस्त करना, गालीगलौच करना एवं फायर कर भय का माहौल पैदा करना उचित संदेह से परे साबित नहीं है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण चन्द्र मोहन, श्रीपाल उर्फ पाल्ला, सतेन्द्र, राजू उर्फ राजकुमार, कृष्णपाल तथा ओमवीर

के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–702 सन् 2017, 'उ.प्र. राज्य बनाम चन्द्रमोहन आदि', मुकदमा अपराध संख्या–851 सन् 2012, थाना–कोतवाली नगर, जिला–मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण चन्द्र मोहन, श्रीपाल उर्फ पाल्ला, सतेन्द्र, राजू उर्फ राजकुमार, कृष्णपाल तथा ओमवीर को धारा–332, 353, 395, 397, 427, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण दाखिल किए जाएं, जो निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभावी रहेंगे।

दिनांक :–20.06.2026

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–20.06.2026

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।